विषय: जनपद फतेहपुर में कानपुर–प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायी पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

दिनांक 15/02/2021 को इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली की ओर से श्री एहतशाम अहमद, मुख्य प्रबंधक व सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर की ओर से श्री शिवराम सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिन्दकी एवं श्री आर० एल० सैनी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहपुर के साथ हुए संयुक्त निरीक्षण की आख्या के अनुसार जनपद फतेहपुर में कानपुर–प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायी पटरी पर 3300.00 मी. लम्बाई एवं 0.30 मी. में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 है0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु गैर वानिकी उपयोग की जाने वाली वनभूमि की मांग न्यूनतम है एवं कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। परियोजना के तहत प्रभावित वनभूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष बाधक नहीं हैं तथा उक्त विषयक कार्य हेतु उपयुक्त है। प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

Ahtesham Ahmad
Chief Manager (Project)
Kanpur, Fatehpur & Hamirpur
Indraprastha Gas Limited

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिन्दकी (फतेहपुर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी